

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



सत्यमेव जयते

राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] दिल्ली, मार्च 5—मार्च 11, 2010, बुध्स्पतिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1931 [रा.रा.क्षे.दि सं 325, 327]
No. 10] DELHI, MARCH 5—MARCH 11, 2010, THURSDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1931 [N.C.T.D. Nos. 325, 327]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 2 मार्च, 2010

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 2nd March, 2010

सं. फा. 10 (1101)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/
10732.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ.
148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक
शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा
(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय
राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी
निर्देश देते हैं कि मैसर्स यूई डेवलपमेन्ट इंडिया प्रा. लि., 206, मुनीष
प्लाजा, 20, अंसारी रोड, विपरीत फायर स्टेशन, दरिया गंज, नई
दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 212,12,66,900
मूल्य के परिफ्रेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 49,27,827 से
2,61,40,495 है, पर लगाने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 21,21,267
(रुपये इक्कीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सडसठ) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1101)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/
10732.—In exercise of the powers conferred by clause (b)
of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act,
1899 (No. 2 of 1899), read with the Government of India,
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E),
dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling
Revenue Authority, Delhi hereby directs that
M/s. UE Development India Private Limited, 206, Munish
Plaza, 20, Ansari Road, Opposite Fire Station, Darya Ganj,
New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of
Rs.21,21,267 (Rs. Twenty One Lac Twenty One Thousand
Two Hundred Sixty Seven) only on the aggregate value of
shares of Rs. 212,12,66,900 for preference share certificates
with Distinctive Nos. 49,27,827 to 2,61,40,495 to be issued
by the said company.

दिल्ली, 3 मार्च, 2010

सं. फा. 10 (1093)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10754.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स ग्लोबल इजीवाटर प्रोडक्ट्स प्रा. लि., दूसरी मंजिल, सी-5/43, सफदरजंग डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,35,60,920 मूल्य के परिफ्रेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 26,43,085 से 39,99,176 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 13,561 (रूपए तेरह हजार पांच सौ इकसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 3rd March, 2010

F. No. 10(1093)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10754.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Global Easywater Products Pvt. Ltd., C-5/43, 2nd Floor, Safdarjung Development Area, New Delhi-110016 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.13,561 (Rs. Thirteen Thousand Five Hundred Sixty One) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,35,60,920 for Preference Share Certificates with Distinctive Nos. 26,43,085 to 39,99,176 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1069)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10755.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स पेसीफिक इंटरियर्स इंडिया प्रा. लि., नौरंग हाउस, मायालैंड सेन्टर, 111 एण्ड 112, पहली मंजिल, 21 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,03,33,800 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 1,46,046 से 1,80,491 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 10,334 (रूपए दस हजार तीन सौ चौतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1069)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10755.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pacific Interiors India Private Limited, Naurang House, Mayaland Centre, 111 & 112, 1st Floor, 21 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.10,334 (Rs. Ten Thousand Three Hundred Thirty Four) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,03,33,800 for equity share certificates with Distinctive Nos. 1,46,046 to 1,80,491 to be issued by the said company.

दिल्ली, 4 मार्च, 2010

सं. फा. 10 (1098)/मु. स. (मुख्या.)/स. शु./08/10777.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स टेफकोन एक्सपोमिडिया इंडिया प्रा. लि., ग्राउंड फ्लोर, महेन्द्रा लाईफ स्पेस कारपोरेट सेन्टर, बिल्डिंग नं. 70, जीईएससीओ टावर्स, नहेरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 33,14,360 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 7,60,447 से 10,91,882 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 3,315 (रूपए तीन हजार तीन सौ पन्द्रह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,

विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

Delhi, the 4th March, 2010

F. No. 10(1098)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/10777.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Tefcon Expomedia India Private Limited, Ground Floor, Mahindra Life Space Corporate Centre, Building No. 70, GESCO Towers, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,315 (Rs. Three Thousand Three Hundred Fifteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 33,14,360 for equity share certificates with Distinctive Nos. 7,60,447 to 10,91,882 to be issued by the said company.

By Order
Of Chief Controlling Revenue Authority,
Government of National Capital Territory of Delhi,

VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)